रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 445] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 9, 1972/आश्विन 17, 1894

No. 445] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 1972/ASVINA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Stock Exchange Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October 1972

S.O. 648(E).—The Central Government, having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) read with rule 7 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, by the Calcutta Stock Exchange Association Ltd., Calcutta (hereinafter referred to as the Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, recognition to the Exchange under section 4 of the said Act, for a further period of five years commencing on the 10th October, 1972, and ending with the 9th October, 1977, in respect of contracts in securities, subject to the conditions stated herein below and such other conditions as may be prescribed or imposed hereafter:

Conditions

(1) The articles of association of the Exchange shall be suitably amended to give effect to the following, namely:—

(a) the President and Vice-President of the Exchange shall be nominated by the Central Government from among those elected as members of the

Committee of the Exchange through the normal process of the articles of association of the Exchange;

(b) the power of the Committee to constitute sub-committees and standing committees shall be restricted to Arbitration Sub-committee and Defaulters' Sub-committee and that any other sub-committee or standing commmittee may be constituted by the Committee only with the previous approval of the Central Government; and

(c) the Executive Director shall have exclusive powers in matters which concern disciplining of trading and the members' activities including enforcement of articles of association, bye-laws and regulations of the exchange in such matters.

(2) The articles of association of the Exchange shall be amended for the purposes aforesaid as early as possible but in no case later than a period of one year from the 10th October, 1972.

[No. F. 1/19/SE/72.]

R. M. BHANDARI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(शेयर बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 1972

का०आ० 648(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 के नियम 7 के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42 वां) की धारा 3 के अन्तर्गत कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, कलकत्ता (जिसे बाद में एक्सचेंज कहा गया है) द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए दिये गये आवेदन-पत्र पर विचार करने और इस बात की तसल्ली कर लेने के बाद कि ऐसा करना व्यापार तथा लोक हित में होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत एक्सचेंज को 10 अक्टूबर, 1972 से शुरू होने वाली और 9 अक्टूबर, 1977 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिए प्रतिभूतियों के संविदाओं के सम्बन्ध में नीचे दी गयी शर्तों और एतद्पश्चात् निर्धारित की जाने वाली अथवा लगायी जाने वाली शर्तों के साथ मान्यता प्रदान करती है :

शर्तें

(1) एक्सचेंज की अन्तर्नियमावली को समुचित रूप से संशोधित किया जायगा ताकि निम्नलिखित को कार्य-रूप दिया जा सके अर्थात् :—

(क) एक्सचेंज के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केन्द्रीय सरकार द्वारा, एक्सचेंज की अन्तर्नियमावली की सामान्य प्रक्रिया द्वारा चुने गये एक्सचेंज की समिति के सदस्यों में से नामजद किया जायगा ;

(ख) उप-समितियां और अस्थायी समितियां गठित करने की एक्सचेंज की समिति की शक्ति मध्यस्थता समिति और बाकीदार समिति तक सीमित होगी और समिति द्वारा

किसी अन्य उप-समिति अथवा स्थायी समिति का गठन केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से ही किया जायगा ; और

(ग) कार्यकारी निदेशक को उन मामलों में, जिनका सम्बन्ध व्यापार को अनुशासित करने और सदस्यों की गतिविधियों से हो, जिनमें इन मामलों में एक्सचेंज की अन्तर्नियमावली उप-नियमों और विनियमों का लागू किया जाना शामिल है, अनन्य शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(2) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए एक्सचेंज की अन्तर्नियमावली में यथासम्भव शीघ्र संशोधन कर दिए जाएंगे जो हर हालत में 10 अक्टूबर 1972 से लेकर एक वर्ष तक की अवधि के अन्दर-अन्दर कर दिए जायेंगे ।

[संख्या एफ० 1/19/एस०ई०/72]

रणजीत मल भण्डारी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972